

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.



भारत सरकार
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,
पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005, फोन- 0771-2282530 /2285590 /95
मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com



No. CHG/RAP/LST-76/NGP

Mine code:38CHG14027

Date: 16.08.2017

To,

Shri Ramakant Sharma, Nominated owner,
M/S Shree Cement Ltd,
Village- Khapradih,
Tehsil- Simga,
Dist- Baloda Bazar -Bhatapara, CG.
Pin code- 493332.

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के Baloda Bazar जिले में स्थित आपकी Shree Limestone Mine(531.126 Ha) of M/S Shree Cement Limited, में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 02/08/17 को Shri R. K. Das and Shri R.N. Mishra द्वारा Shri K. C. Sharma के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (2)	Mining Operation are not being carried out in accordance with the Mining plan approved vide No : Balodaba/LST/MPLN-1025/NGP/2015/29 dated 13/07/2016 to the extent below: i) Waste dump is proposed in the southern side of the Lease area near BH-133 & BH-109 and Top soil along the lease boundary pillar number 213 to 219 but during the inspection it was observed that dumping side of the Top Soil and waste material along the eastern side and north east side of Lease boundary. ii) There was no proposal for Mineral stacking in 2016-17 but it was observed during the inspection Limestone has been stack near the primary Crusher and near the working pit. iii) It was proposed to produce 4.3 million tons/year of Limestone for year 2015-16 & 2016-17 against which limestone production reported 1.98 million tons in 2015-16 & 2.99 million tonne in 2016-17.
Rule 45(5)(b)	(i) In the June & July_2017 Monthly return it mentioned Zero stock of Limestone but during inspection it was observed that mineral stock lying in two different places near primary crusher and near working pit but the same is not reflected in the monthly return for the month June'2017 & July'2017.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 11 (2) और **नियम 45(7)(अ)**के अंतर्गत

- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है **या नियम 45(7)(अ)**के अंतर्गत सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1 खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो